तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2017(19/2014) पताराम बनाम डायाराम राज्य अतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट	
13.4.2018	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने उभय पक्ष की बहस सूनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के अवलोकन से विदुत हो रहा है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण घाची,सरगरा तथा मेघवाल जाति के सह खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जमाबन्दी के इन्द्राज अनुसार खसरा न 187 रकबा 153 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम पीपरली में उपरोक्त वर्णिता अनुसार जातियो के विभिन्न सह खातेदारो के नाम से दर्ज है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस भूमि का कोई बटवारा नही हुआ है जबकि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा की माग की है जबकि प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि तक के लिए ही अनुतोष मागना चाहिए था, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी दर्ज सह खातेदारी भूमि मे अन्य खातेदारों को अनावश्यक रूप से हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया पत्रावली पर दिनांक 19.3.2014 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया तथा पत्रावली दिनांक 25.1.2017 को खारिज की गई व दिनांक 10.4.17 को आदेश 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र के स्वीकार होने पर दिनांक 11.4.2017 को दर्ज की गई है। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से तथा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अधोपान से प्रार्थी अपने हिस्से तक ही प्रार्थना पत्र पेश करना था इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है साथ ही सुविधा का सतुलन व अपूर्णीय क्षर्ति का बिन्दू भी प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है इन तमाम तथ्य की रोशनी से एक सह खातेदार काश्तकार के विरूद्व सामान्य पकिया में निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट का खारिज किया जाता है तथा स्थगन आदेश दिनांक 19.3.2014 को यही समाप्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्फतर दाखिल हो। 13/4/2018 उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner